माननीय न्यायालय- श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, म0प्र0 ग्वालियर, म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक........

इन्द्रभान अहिर तनय छोटा अहिरउम्र 65साल पेशा खेती, निवासी कठौतहा तहसील गोपदबनास, जिला सीधी म0प्र0 -------- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन् ---------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टरमहोदय सीधी जिलासीधीम0प्र0(पीठासीन श्री विशेष गढ़पाले (प्रकरण क्रमांक 09/स्व. निगरानी/2013-014 मेंपारित आदेश दिनांक 27.1.2015,

निगरानी अन्तरगत धारा-50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

"" निगरानी प्रकरण के तथ्य"" माननीय न्यायालय में इस प्रकारसे ,प्रस्तुत हैं कि ग्राम कठौतहा की शासकीय आराजी नं0-29/1 रकवा 7.070 हैक्टेयर में से जुज रकवा 0.420हैक्टर, 51/20.688 हैक्टेयर में से जुज 0.558 हैक्टेयर किता-2 योग रकवा 0.978हैक्टेयर का व्यवस्थापन म0प्र0 कृषिप्रयोजन के लिये उपयोग की जारही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय कियाजाना विशेष उपवन्ध अधिनियम 1984 के तहत माननीय नायव तहसीलदार महोदय गोपदबनास प्रभारी सेमरिया जिलासीधीकेद्वारा जरिये प्रकरण क्रमांक 19/अ-19-2/95-96 दिनांक 31.7.1997 के द्वारा निगरानीकर्ता के नाम व्यवस्थापन पट्टा स्वीकार कियागयाथा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारायह माना गयाकि नायव तहसीलदार द्वारा झूठपीमद की भूमि एवं उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता के पिता या निगरानीकर्ता द्वारा कब्जा के वारे में कोई ठोस अभिलेख प्रस्तुत नहीं कियागया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के ऐसे

जारीपेज-2-

XXXIX(a)-BR(H)-11

(395)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2952-II / 15** जिला–सीधी

इन्द्रभान अहिर / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 08 / स्व0 निगरानी / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	